न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 66/2017
प्रविष्टि दिनांक 23–12–2019

1– प्रेमलाल पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवरी (भाकरवाड़ी) तहसील उनियारा जिला–टोंक राज0
2–रामदयाल पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवरी (भाकरवाड़ी) तहसील उनियारा जिला–टोंक राज0
3–लदूर पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवरी (भाकरवाड़ी) तहसील उनियारा जिला–टोंक राज0
4–शान्ति देवी पत्नि भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम देवरी (भाकरवाड़ी) तहसील उनियारा जिला–टोंक राज0

–आवेदकगण

बनाम

1–तहसीलदार उनियारा जिला– टोक
2–उपखण्ड अधिकारी उनियारा तह0 उनियारा जिला–टोंक राज0

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा– 54 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन व श्री सेतराम चौधरी आवेदकगण की ओर से
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 17–12–2020

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भूमि आराजी साबिक खसरा नं. 273 मि. रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है, जिसके हाल सेटलमेन्ट में नवीन खसरा नं. 517 रकबा 0.92 हैक्टेयर बना है। उक्त खसरा नं. आवेदकगण की गैर खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवेदकगण को दिये जाने हेतु विपक्षीगण को आदेशित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक खसरा नं. 273 रकबा 24 बीघा बिस्वा में से 5 बीघा 15 बिस्वा जमीन आवेदकगण के पिता भूरा पुत्र कल्याण बैरवा को दिनांक 15.01.1983 को आवंटन हुई थी तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में दिनांक 14.02.1983 को हल्का पटवारी द्वारा अलाटी भूरा पुत्र कल्याण बैरवा के नाम गैर खातेदारी का नामांतकरण सं. 140 भरा गया जिसमें हल्का पटवारी ने आवंटनशुदा जमीन पर कब्जा अलाटी का मानते हुये रिपोर्ट की तथा उक्त नामांतकरण दिनांक 15.02.1983 को तहसीलदार द्वारा [illegible] किया गया। अलाटी भूरा बैरवा अपने जीवनकाल में आवंटनशुदा जमीन पर का[illegible] रहा था उसकी मृत्यु के पश्चात आवेदकगण उक्त जमीन पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है। अलाटी व आवेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

द्वारा आवंटन की सभी शर्तों की विधिवत रूप से पालना करते आ रहे है तथा इसलिये उक्त जमीन की गैर खातेदारी से खातेदारी आवेदकगण को दिया जाना आवश्यक एवं न्यायासंगत है। आवेदकगण ने आवंटनशुदा जमीन की गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु विपक्षीगण के यहां कई बार लिखित रूप में आवेदन किया आवेदकगण ने प्रशासन गांव के संघ अभियानों के तहत तथा न्याय आपके द्वार कार्यकम में विपक्षीगण के समक्ष उक्त आवंटनशुदा जमीन की खातेदारी दिये जाने हेतु लिखित रूप में आवेदन किया परन्तु विपक्षीगण द्वारा आवेदकगण द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई मजबूर होकर यह आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष एल.आर. एक्ट की धारा 54 के तहत सुपरवाईजरी पावर होने से प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवेदकगण को दिये जाने हेतु आदेश जारी करने का श्रम करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया कि प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बर हाल 517 रकबा 0.92 है0 का है ओर आवेदकगण की गैर खातेदारी में दर्ज है, तथा वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 517, 517/743, 517/742 तीनों का एक ही खेत बना हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है अधिनस्थ प्रशासनिक अधिकारीगण को सुपरवाईजरी शक्तियों का प्रयोग किये जाने हेतु प्रकरण शीघ्र सुनवाई व निस्ताराण हेतु आदेशित किया जा सकता है। आवेदकगण द्वारा प्रकरण में समस्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गई प्रार्थना पत्र आवेदकगण द्वारा कपोल कल्पित मनगढन्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हे जिसे खारिज किया जावे।

विद्वान् अभिभाषक आवेदकगण एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अध्ययन करने से विदित होंता है कि भूमि आराजी साबिक खसरा नं. 273 मि. रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देवरी तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है, जिसके हाल सेटलमेन्ट में नवीन खसरा नं. 517 रकबा 0.92 हैक्टेयर बना है, उक्त खसरा नं. मुताबिक जमाबन्दी आवेदकगण की गैर खातेदारी मे दर्ज है। अभिभाषक आवेदकगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि इनके द्वारा उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कराने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये गये हों। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए

प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 17–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner